न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D 23/2017 श्री प्रहलाद बनाम **श्री दिनेश लाल**

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31–10–2018	वकील अपीलान्ट उपस्थित। वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 के अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 से 8 बावजूद सूचना के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–9 सरकार की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। वकील अपीलान्ट व औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 द्वारा पेश शुदा वाद में अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 19–11–2015 को अपीलान्ट संख्या–4 की तामिल के लिए दिनांक 26–11–2015 की पेशी तय की गई। अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–11–2015 को प्रतिवादी संख्या–4 अपीलान्ट संख्या–1 की तामिल, तलबी बिना अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26–11–2015 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय व विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल है। अधिनस्थ न्यायालय में आगामी दिनांक 23–12–2015 को अपीलान्ट द्वारा आदेश–9, नियम 13 जाब्ता दीवानी का आवेदन पेश किया। जिसके जवाब में पत्रावली दिनांक 23–12–2015 से 29–6–2016 तक लम्बित रही। दिनांक 29–6–2016 को आदेश–9, नियम–13 जाब्ता दीवानी के आवेदन पर बिना जवाब व निर्णय के अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित कर दी है, जो भी प्राकृतिक न्याय व विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल है। उपरोक्तानुसार अधिनस्थ न्यायालय का प्रारम्भिक डिक्री निर्णय दिनांक 26–11–2015 व अंतिम डिक्री निर्णय दिनांक 29–6–2016 प्राकृतिक न्याय व विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल होने से दोनों निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 26–11–2015 व अंतिम डिक्री दिनांक 29–6–2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनिस्थ न्यायालय को **प्रतिप्रेषित** कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में सर्व प्रथम आदेश–9, नियम–13 जाब्ता दीवानी के आदेश पर उभयपक्षों को सुनकर निर्णय पारित करें। तद्नुसार प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28–12–2018 को उपस्थित होवें। पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31–10–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम ....
उदयपुर व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गणेश लाल नागदा पिता
श्री कालूलाल नादा निवासी
पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल
के पास शोभागपुा स्कूल के सामने
तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल
कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा
उदयपुर (राज0)
अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84/2012 बनाराजगी डिगरी अदालत .... सहायक कलक्टर मु0...... .... उदयपुर .... मुकाम मुर्क्खे...........27.............. माह ....02........... 1993

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 15..... माह ......06.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री सत्य प्रकाश व्यास .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री संजय बोहरा .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्ट दूषित (Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–2–1993 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........15..... माह ...06........ 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील					
2. स्टाम्प वकालत नामा.......					
3. इजराय हुक्मनामा					
4. वकील फीस बाबत					
मीजान					
.					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D 23/2017 श्री प्रहलाद बनाम श्री दिनेश लाल

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम ....
उदयपुर व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गांगा पिता देवा डांगी
निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य –2

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल
निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य–6

अपील मूत नं0 3/2015 बनाराजगी डिगरी अदालत ....भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ......उदयपुर .... मुकाम मुर्क्खे...........08.............. माह ....07........... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 25..... माह ......05.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री मन्नाराम डांगी .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि .... प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा–152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण संख्या 46/2004 निर्णय दिनांक 8–7–2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0.800 हैक्टर लिपिकीय/टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........14..... माह ...06....... 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील .... 6. स्टाम्प वकालत नामा....... 7. इजराय हुक्मनामा .... 8. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।